ऑन लाईन नं. GCMS 2021/00152

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 09/2021

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

विजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रतन लाल अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी मकान नम्बर 40, गली नम्बर 01, दुर्गाविहार कॉलोनी, जिला श्रीगंगानगर **–विक्रेता एवं मालिक–**
मैसर्स :– गणपति स्वीट्स, काराखाना मकान नम्बर 40, गली नम्बर 01, दुर्गाविहार कॉलोनी, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ा)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक : 15.02.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.10.2020 को दोपहर 5:00 पी.एम. पर फर्म मै. गणपति स्वीट्स, काराखाना मकान नम्बर 40, गली नम्बर 01, दुर्गाविहार कॉलोनी, जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे, अपना परिचय दिया। वहां फर्म पर श्री विजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रतन लाल अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी मकान नम्बर 40, गली नम्बर 01, दुर्गाविहार कॉलोनी, जिला श्रीगंगानगर विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद था एवं आम जनता को **मिठाई बर्फी** आदि बनाकर बेच रहा था।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **मिठाई बर्फी** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु दुकान में रखी **मिठाई बर्फी** लगभग 15 किलो में से 2 किलो **मिठाई बर्फी** वास्ते नमूना लिया जिसके पेटे 480/– रूपये नगद देकर गवाहान , विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की । खाद्व सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिठाई बर्फी**, को एक रूप किया एवं इस एक रूप में की हुई **मिठाई बर्फी** को चार डिब्बो में प्रत्येक में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक डिब्बे में

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अभिहित जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

500–500 ग्राम **मिठाई बर्फी** में परिरक्षक बतौर फासेरमलिन की 40–40 बूंदे मिलाकर एयरटाईट ढक्कन से बंद कर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर के–1061 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप के–1061 नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्व पदार्थ का विवरण के–1061 **मिठाई बर्फी** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता विजय कुमार अग्रवाल ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/124/एक्ट/2020/125 दिनांक 31.10.2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–1061 **मिठाई बर्फी अमानक स्तर** (Food Containing extraneous matter under section 3.1.(i) of the Food Safety & Standards Act 2006 as added starch found present.) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री विजय कुमार अग्रवाल मैसर्स गणपति स्वीट्स, काराखाना मकान नम्बर 40, गली नम्बर 01, दुर्गाविहार कॉलोनी, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **मिठाई बर्फी** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.09.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि :–

1. यह कि निर्णयन आवेदन की चरण सख्या –1 में प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रतियां अप्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई है, इसलिए अप्रार्थी अपने जवाब के अधिकार को सुरक्षित रखता है।
2. यह कि निर्णयन आवेदन की चरण संख्या –2 के तथ्य स्वीकार है।
3. यह कि निर्णयन आवेदन की चरण सख्या –3 में खाद्व सुरक्षा अधिकारी का निरीक्षण के लिए आना स्वीकार है।
4. यह कि निर्णयन आवेदन की चरण सख्या –4 के तथ्य स्वीकार है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा नमूना लिया गया था।
5. यह कि निर्णयन आवेदन की चरण सख्या –5 के तथ्य जिस प्रकार से अभिकथित किये गये है, स्वीकार नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा जो 2 किलो खाद्य पदार्थ के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

नमुने लिये गये थे, उन्हें हिला मिलाकर एक रूप नहीं किया गया था, बल्कि सीधे ही बोतलों में भर लिया था।

6. यह कि निर्णयन आवेदन की चरण सख्या –6 के कथन कार्यालय से सम्बन्धित है, इसलिए ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है।
7. यह कि निर्णयन आवेदन की चरण सख्या –7 के कथन स्वीकार नहीं है, अप्रार्थी के द्वारा बर्फी का निर्माण विभिन्न किया जाता है, जिसमें चीनी , मावा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अप्रार्थी के द्वारा चीनी बाहर से खरीद की गई थी और वह स्वयं के द्वारा निर्मित नहीं थी। चीनी के निर्माण में गन्ने का प्रयोग होता है और स्टार्च की जो उपस्थिति नमुने में बताई गई है वह अप्रार्थी के द्वारा नहीं मिलाई गई थी, बल्कि चीनी के निर्माण के समय प्रयुक्त होने के कारण उनका अंश बर्फी के सैम्पल में आ गया। अप्रार्थी के द्वारा बर्फी का निर्माण सावधानी के साथ व सुरक्षित घटक के साथ किया जाता है, जिससे मानव जीवन के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। अप्रार्थी के द्वारा बनाई गई बर्फी किसी भी प्रकार से सब स्टैण्डर्ड नहीं थी, यदि बर्फी के निर्माण के काम आने वाले पदार्थो में कोई पदार्थ सब स्टैण्डर्ड हो तो उसके लिए अप्रार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अप्रार्थी यह नहीं जानता था कि कौनसा पदार्थ सब स्टैण्डर्ड है।
8. यह कि निर्णयन आवेदन की चरण सख्या –8 के कथन विधिक है, इसलिए जवाब की आवश्यकता नहीं है।
9. यह कि निर्णयन आवेदन की चरण सख्या –9 में अप्रार्थी का पता स्वीकार है।
10. यह कि निर्णयन आवेदन की चरण सख्या –10 के कथन स्वीकार नहीं है अप्रार्थी के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का किसी भी प्रकार से उल्लधंन नहीं किया गया है। अप्रार्थी पर किसी प्रकार का जुर्माना अधिरोपित नहीं किया जा सकता।
11. यह कि निर्णयन आवेदन की चरण सख्या –11 के कथन स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **मिठाई बर्फी** का सैम्पल के–1061 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/124/एक्ट/2020/125 दिनांक 31.10.2020 द्वारा (Food Containing extraneous matter under section 3.1.(i) of the Food Safety & Standards Act 2006 as added starch found present.) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि अप्रार्थी के द्वारा बर्फी का निर्माण विभिन्न किया जाता है, जिसमें चीनी , मावा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अप्रार्थी के द्वारा चीनी बाहर से खरीद की गई थी और वह स्वयं के द्वारा निर्मित नहीं थी। चीनी के निर्माण में गन्ने का प्रयोग होता है और स्टार्च की जो उपस्थिति नमुने में बताई गई है वह अप्रार्थी के द्वारा नहीं मिलाई गई थी, बल्कि चीनी के निर्माण के समय

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

प्रयुक्त होने के कारण उनका अंश बर्फी के सैम्पल में आ गया। अप्रार्थी के द्वारा बर्फी का निर्माण सावधानी के साथ व सुरक्षित घटक के साथ किया जाता है, जिससे मानव जीवन के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। अप्रार्थी के द्वारा बनाई गई बर्फी किसी भी प्रकार से सब स्टैण्डर्ड नहीं थी, यदि बर्फी के निर्माण के काम आने वाले पदार्थो में कोई पदार्थ सब स्टैण्डर्ड हो तो उसके लिए अप्रार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अप्रार्थी यह नहीं जानता था कि कौनसा पदार्थ सब स्टैण्डर्ड है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया खोवा Sample of "Mitahai Made in Cottonseed Oil & Til Oil" bearing Code No. and Sr. No. K-1061 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Food Safety & Standards Act 2006 as added starch found present. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री विजयकुमार अग्रवाल पुत्र श्री रतन लाल अग्रवाल – फर्म गणपति स्वीट्स, काराखाना मकान नम्बर 40, गली नम्बर 01, दुर्गाविहार कॉलोनी, जिला श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री विजयकुमार अग्रवाल पुत्र श्री रतन लाल अग्रवाल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 30,000–00 (अखरे रूपये तीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **मिठाई बर्फी** बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर